भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
लोक उद्यम विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 3911

दिनांक 18 अगस्त, 2025 को उत्तर देने के लिए

घाटे में चल रहे केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का विनिवेश

3911. **श्री ईश्वरस्वामी के.:**

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले वित्तीय वर्षों की तुलना में चालू वित्तीय वर्ष में घाटे में चल रहे केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) की संख्या में वृद्धि हुई है;
(ख) क्या इन सीपीएसई को हुआ घाटा पिछले चार वर्षों के दौरान सबसे अधिक है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) इन सीपीएसई की वित्तीय स्थिति में सुधार के लिए सरकार द्वारा उठाए गए उपायों का ब्यौरा क्या है;
(घ) क्या सरकार इन घाटे में चल रहे सीपीएसई के विनिवेश पर विचार कर रही है;
(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और
(च) इन सीपीएसई के निकाले गए श्रमिकों को आजीविका का वैकल्पिक स्रोत प्रदान करने के लिए विचाराधीन कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
वित्त राज्य मंत्री
(श्री पंकज चौधरी)

(क) और (ख): लोक उद्यम सर्वेक्षण (पीई) के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2022-23 और 2023-24 के लिए घाटे में चल रहे सीपीएसई की संख्या क्रमश: 57 और 58 है। वर्ष 2020-21, 2021-22, 2022-23 और 2023-24 के दौरान घाटे में चल रहे सीपीएसई को हुई हानि का विवरण अनुलग्लक में दिया गया है।

(ग): केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम (सीपीएसई) संबंधित मंत्रालय/विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन कार्य करते हैं। उद्यमों के कायाकल्प के लिए उद्यम विशिष्ट उपाय संबंधित निदेशक-मंडल और संबंधित सीपीएसई पर अधिकार रखने वाले प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों द्वारा किए जाते हैं। इन उपायों में अन्य बातों के साथ-साथ, व्यापार पुनर्संरचना, संयुक्त उद्यमों का गठन, आधुनिकीकरण और बेहतर विपणन कार्यनीतियाँ बनाना आदि शामिल है। सरकार ने फरवरी, 2021 में नई सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम नीति ("पीएसई") भी अधिसूचित की है। अतएव, सीपीएसई के साथ नई पीएसई नीति के प्रावधानों के अनुसार ही व्यवहार किया जाना होता है।
(घ) और (ङ): सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (पीएसई) में विनिवेश निम्नलिखित के माध्यम से करती है (i) विभिन्न सेबी-अनुमोदित तरीकों जैसे आरंभिक सार्वजनिक पेशकश (आईपीओ), बिक्री प्रस्ताव (ओएफएस), शेयरों की पुनर्खरीद आदि के माध्यम से अल्पांश हिस्सेदारी की बिक्री और (ii) कार्यनीतिक विनिवेश अर्थात प्रबंधन नियंत्रण के हस्तांतरण के साथ कार्यनीतिक खरीदार को सरकार की शेयरधारिता की पूर्ण अथवा पर्याप्त बिक्री। कार्यनीतिक विनिवेश/निजीकरण की नीति इस आर्थिक सिद्धांत पर आधारित है कि सरकार का उन क्षेत्रों में न्यूनतम दखल होना चाहिए, जहां प्रतिस्पर्धी निजी क्षेत्र अब परिपक्व हो चुका है और

ऐसी इकाइयों की आर्थिक क्षमता का बेहतर दोहन विभिन्न कारकों जैसे पूँजी निवेश, प्रौद्योगिकीय उन्नयन, कुशल प्रबंधन प्रथाओं आदि के कारण कार्यनीतिक निवेशकों द्वारा बेहतर ढंग से किया जा सकता है। निजीकरण/कार्यनीतिक विनिवेश के लिए लाभप्रदता/हानि प्रासंगिक मानदंडों में नहीं हैं।

(च): लोक उद्यम विभाग (डीपीई) ने अनुसंधान, विकास और परामर्श तथा अभिविन्यास (आरडीसीआर) के लिए स्कीम लागू की है और आरडीसीआर स्कीम का एक उद्देश्य सीपीएसई की स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना (वीआरएस)/स्वैच्छिक पृथक्करण योजना (वीएसएस) का विकल्प चुनने वाले या उनके पात्र आश्रितों के लिए स्व-रोजगार या मजदूरी रोजगार की सुविधा के लिए कौशल संवर्धन और पुनर्संयोजन प्रशिक्षण प्रदान करना है।

अनुलग्नक

लोक सभा में दिनांक 18.08.2025 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न सं 3911 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में संदर्भित विवरण।

घाटे में चल रहे सीपीएसई की संख्या और हानि की राशि

वर्ष	घाटे में चल रहे सीपीएसई की सं.	घाटे में चल रहे सीपीएसई की हानि (रू करोड में)
2020-21	77	31,058
2021-22	59	14,586
2022-23	57	28,827
2023-24	58	21,011